

Entd

सूचि 14 फारम संख्या—562

आदेश पत्रक

केश का प्रकार — दाखिल खारीज
अभिलेख संख्या — 84/16-12

आदेश की
क्रम संख्या
और तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की
गई कार्रवाई के
बारे में टिप्पणी
तारीख सहित

12/5/16

१ श्री गुरु गढ़वाली वौरड़ पिता- गुरु गढ़वाली (गुरु गढ़वाली) वौरड़
 ग्राम रमनुदा अंचल देवरी जिला
 गिरिडीह द्वारा निम्नांकित ब्लौरे की जमीन का दाखिल खारीज हेतु
 आवेदन पत्र दिया है। आवेदित जमीन श्री गुरु गढ़वाली वौरड़
 पिता- गुरु गढ़वाली ग्राम रमनुदा
 अंचल देवरी से बजरिये केवाला संख्या 27705
 दिनांक 15.11.70 के द्वारा क्रय किया गया है।

ग्राम	थाना नं	खाता नं	प्लॉट नं	रकवा
रमनुदा	249	48	1421 1436	32½ एकड़ी

पंजी 27 में दर्ज कर आम इस्तेहार निर्गत करें। इसी बीच
हल्का कर्मचारी से आवेदन पत्र पर स्थानीय जाँच कर जाँच
प्रतिवेदन की मांग अंचल निरीक्षक के माध्यम से करें।

अभिलेख दिनांक 3/6/16 को उपस्थापित करें।

तरफ़ गुरु गढ़वाली वौरड़ दाखिल खारीज के लिए अधिकारी द्वारा देवरी
 अधिकारी द्वारा देवरी द्वारा देवरी द्वारा देवरी द्वारा देवरी द्वारा देवरी

अंचल अधिकारी,
देवरी।

अंचल अधिकारी,
देवरी।

3/6/16
30/5/16

3। अभिलेख उपस्थापित किया गया। इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। निर्धारित तिथि तक किसी के द्वारा आपत्ति नहीं दिया गया है। हल्का कर्मचारी का जाँच प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के अनुशंसा के साथ प्राप्त है उन्होंने प्रतिवेदित किया किया है कि आवेदित जमीन गैरमजरुआ खास / रैयती / बकास्त / खाते की है जिसकी जमाबंदी पंजी ॥ के भेलूम संख्या T के पृष्ठ संख्या 42

..... पर विकेता F/67 के नाम जमाबंदी दर्ज है। जमीन भूहदबंदी भूदान वनस्पीमा एवं सैरात से बाहर है जमीन पर केता का शान्तिपूर्ण दखल है आवेदित भूमि का नामान्तरण हेतु अनुशंसा किया गया है।

अतएव हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर निम्नांकित विवरण की भूमि का नामान्तरण, क्रेता श्री/श्री मतिडलीभत्ता कौरुपिला-टटमला पिता/पत्नी, पिला-टिमामला ग्राम राजमुड़ा के नाम राजमुड़ा किया जाता है।

ग्राम	आना नो	प्लॉट नो	रकवा	माल
<u>राजमुड़ा</u>	249	1421 1436	<u>32 1/2</u>	<u>90</u>

सम्बन्धित सहायक तदनुसार शुद्धिपत्र निर्गत करें।

लेखापित एवं संसोधित

अंचल अधिकारी,
देवरी।

अंचल अधिकारी,
देवरी।

शुद्धिपत्र निर्गत किया गया। हल्का कर्मचारी एक सप्ताह के अन्दर अनुपालन प्रतिवेदन दे।

अंचल अधिकारी,
देवरी।